क्रम-संख्या–6 (ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0

डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 जनवरी, 2023

पौष 30, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–4

संख्या 101/36-4–2023-02(म0आ0)-2015
लखनऊ, 20 जनवरी, 2023

अधिसूचना

प०आ०–20

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1955) की धारा 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिनियम के प्रशासन एवं राज्य में स्थित विभिन्न औद्योगिक श्रमिक बस्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं श्रम आयुक्त को परामर्श देने के लिये निम्नानुसार समिति का गठन करती हैः–

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश शासन	सभापति
2	विशेष सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3	शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य विधान मण्डल के दो निर्वाचित सदस्य	सदस्य
4	विशेष सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट एक औद्योगिक श्रमिक प्रतिनिधि	सदस्य
8	शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट एक नियोक्ता प्रतिनिधि	सदस्य
9	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा श्रम आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त।	सदस्य सचिव

क्रम संख्या 3, 7 एवं 8 के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा सम्बन्धित श्रेणी की प्रतिनिधित्व क्षमता धारण करने तक, जो भी कम हो, होगा।

समिति प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। समिति की बैठक सभापति द्वारा नियत दिनांक एवं स्थान पर सदस्य सचिव द्वारा आहूत की जायेगी।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 101/XXXVI-4–2023-2(M.A.)-2015, dated January 20, 2023 :

No. 101/XXXVI-4–2023-2(M.A.)-2015

Dated Lucknow, *January* 20, 2023

IN exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 8 of the Uttar Pradesh Industrial Housing Act, 1955 (U.P. Act no. XXIII of 1955), the Governor is pleased to Constitute the following State Advisory Committee to advise to State Government and Labour Commissioner on the matter relating to administration of the Act and on various problems of industrial housing colonies situated in the State:-

1	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh	Chairperson
2	Special Secretary, Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh	Member
3	Two Elected Members of the State Legislature nominated by the State Government	Member
4	Special Secretary, Home, Government of Uttar Pradesh	Member
5	Special Secretary, Housing and Urban Planning, Government of Uttar Pradesh	Member
6	Special Secretary, Finance, Government of Uttar Pradesh	Member
7	One representative of Industrial Workers nominated by the State Government	Member
8	One representative of Employers nominated by the State Government	Member
9	Labour Commissioner, Uttar Pradesh or Additional Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner authorised by the Labour Commissioner	Member Secretary

The tenure of members on Sr. no. 3, 7 and 8 shall be of three years or till he holds the capacity of representation of the category whichever is less.

The Committee shall meet atleast once in every quarter. The meeting of the committee shall be called by the Member Secretary on the date and place fixed by Chairperson.

By order,
SURESH CHANDRA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1184 राजपत्र–2023–(1928)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 44 सा0 श्रम–2023–(1929)–300 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

1184 RPH 2023 (Shram Anubhag-4) Data 4e